

समाहरणालय, पश्चिम चम्पारण, बातया

(आपदा प्रबंधन शाखा)

—: आदेश :—

1. सरकार के अपर सचिव आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 13/आ0प्र0 दिनांक 30.05.2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप मुख्य शीर्ष -80-सामान्य, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय उप शीर्ष-0102-जागरूकता तथा क्षमता निर्माण विपत्र कोड P2245808000102 मांग सं0 39, यूनिट कोड 2601 विज्ञापन और प्रकाशन मद में प्राप्त कुल मो0 1,00,000=00 (एक लाख) रूपये प्राप्त आवंटन को जिला नजारत उप समाहर्ता को उनके नाम के सामने अंकित राशि उपावंटित की जाती है।

क्र0	संबंधित पदाधिकारी का नाम	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	योग	अभ्युक्ति
1	जिला नजारत उप समाहर्ता, बेतिया	-	1,00,000=00	1,00,000=00	-
	कुल		1,00,000=00	1,00,000=00	

कुल मो0 1,00,000=00 (एक लाख) रूपये मात्र।

2. आवंटित राशि का व्यय उसी मद में की जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन दिया गया है, किसी भी अन्य मद में उक्त राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेदार होंगे।

3. आवंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही किया जाय। यदि राशि की निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाती है तो अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 विपत्र जिला कोषागार कार्यालय, बेतिया को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अन्दर भेजते हुए उसकी एक प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र आपदा प्रबंधन शाखा, बेतिया को शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें।

4. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आँकड़ों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561(वित्त)(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

6. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में संभव नहीं हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2015 तक निश्चित रूप से कर दें, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेदार होंगे।

६०

(लोकेश कुमार सिंह)

जिला पदाधिकारी

पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 263/आ0प्र0 दिनांक 4.09.2014

- प्रतिलिपि :- जिला नजारत उप समाहर्ता बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 13/आ0प्र0 दिनांक 30.05.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट), पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।
03/9/14